

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

नया प्रशासनिक कार्यालय, गांधी मैदान, बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.)
फोन.नं- 0771-2535780, 90, फैक्स : 0771-2227395 E-mail :-dc rmc@rediffmail.com


क्रमांक : 2675 / RNNTL/City Bus/2016

रायपुर, दिनांक: 30 / 07 / 2016

—: “द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना” :—

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पूर्व से निर्मित 40 बस स्टापेज में से 01 बस स्टाप को 300 मीटर तक आगे-पीछे शिफ्ट कर सभी बस स्टॉप में रंगरोगन एवं आवश्यक मरम्मत कार्य के साथ 200 वर्गफीट विज्ञापन प्रदर्शित करने 05 वर्ष के लिए इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी/फर्म/कंपनी से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में दिनांक 16/08/2016 को अपरान्ह 03.00 बजे तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है। तकनिकी निविदा उसी दिवस उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष 04.00 बजे शाम को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम के गांधी चौक स्थित कार्यालय के कक्ष क्रमांक 303 मे कार्यालयीन दिवस एवं समय पर निर्धाति शुल्क जमा कर या निविदा <http://nagarnigamraipur.nic.in> से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। डाउनलोड किए जाने पर निविदा प्रपत्र की राशि D.D. (आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम पर) के रूप में निविदा के साथ जमा करना होगा।

क्र.	कार्य का नाम	अमानती राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत	कार्य की समयावधि
01	पूर्व से निर्मित 40 बस स्टापेज में से 01 बस स्टाप को 300 मीटर तक आगे-पीछे शिफ्ट कर सभी बस स्टॉप में रंगरोगन एवं आवश्यक मरम्मत कार्य के साथ 200 वर्गफीट विज्ञापन प्रदर्शित करने ।	5,00,000 /— (पाँच लाख) डिमांड ड्रफ्ट/ एफ.डी.आर.	5,000 /—	05 वर्ष


आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर (छ.ग.)

निविदा प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- पूर्व में निर्मित 40 सिटी बस स्टापेज का रखरखाव एवं विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु निविदा दर देने के संबंध में।

संदर्भ :- नगर निगम रायपुर हेतु जारी विज्ञापन क्रमांकदिनांक.....

—:00:—

संदर्भित निविदा अंतर्गत पूर्व में निर्मित 40 सिटी बस स्टापेज निर्माण एवं विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु जारी विज्ञापन क्र.....दिनांक..... अंतर्गत राशि रूपये..... (शब्दों में.....) वार्षिक किराया (निविदा दर) हमारे द्वारा दिया जा रहा है। निविदा की समस्त शर्तों का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्तें हमें मंजूर हैं।

निविदाकर्ता एजेंसी का नाम :-

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :-

पूर्ण पता :-

दूरभाष क्र. एवं मोबाईल क्र. :-

40 सिटी बस स्टाप का रखरखाव एवं विज्ञापन अधिकार निविदा

(A) नियम एवं शर्तें

1. निविदा में दर्शित अमानत राशि आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम D.D./F.D.R. (62 माह के लिए) जमा करना होगा।
2. निविदा दो लिफाफों पद्धति के अनुसार देनी होगी, जिसमें प्रत्येक लिफाफे के ऊपर निम्न विवरण अंकित किया जावेगा।

क. कार्य का नाम

ख. लिफाफा क्र.

ग. निविदाकार का नाम

1. लिफाफा क्रमांक 1 में निम्नानुसार अभिलेख रखकर बंद सील किया जावेगा :-

1. अमानत राशि जमा किये जाने की डी.डी./एफ.डी.आर।
2. निविदा प्रपत्र नेट से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र की मूल्य का डिमान्ड ड्रॉप्ट।
3. विगत तीन वर्ष के (31.03.2015 की स्थिति में) वार्षिक टर्नओव्हर से संबंधित दस्तावेज एवं दिनांक 31.03.2015 की स्थिति में नेटवर्थ से संबंधित दस्तावेज।
4. फर्म/कम्पनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित दस्तावेज।
5. शासकीय / निगम/ मंडल में 03 वर्ष का विज्ञापन/ बस स्टॉप निर्माण एवं रख-रखाव से संबंधित अनुभव का दस्तावेज।

2. लिफाफा क्रमांक 2 के उपर भी कंडिका 4 के अनुसार प्रविष्टि अंकित कर उसमें ऑफर की गई दरों सहित निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र रखा जावेगा तथा इसे भी सीलबंद किया जावेगा।
3. लिफाफा क्रं 1 एवं 2 को पृथक-पृथक सील बंद करने के बाद दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद करे उसे भी सील बंद किया जावेगा इस बड़े लिफाफे के उपर निविदा / कार्य का नाम स्पष्ट अक्षरों में करते हुए इसे आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर को संबोधित किया जावेगा।
4. निविदा फार्म एवं निविदा की शर्तों की विस्तृत जानकारी निविदा खुलने के एक दिन पूर्व तक कार्यालयीन समयावधि में नगर निगम, रायपुर के कक्ष क्रमांक 303 से निर्धारित शुल्क नगद भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है।
5. सभी निविदाएं दिनांक **16/08/2016** को दोपहर 3.00 बजे तक **नगर निगम, रायपुर कक्ष क्रमांक 303** में स्पीड पोस्ट/कोरियर/उपस्थित होकर प्रस्तुत की जा सकेगी।
6. प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदाकार/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे खोली जावेगी।
7. प्रत्येक निविदा में सर्वप्रथम लिफाफा क्रं 1 खोला जावेगा तथा लिफाफा क्रं 1 में रखे जाने वाले सभी अभिलेख पूर्ण होने पर ही लिफाफा क्रं. 2 (निविदा प्रपत्र में दी गई दरों का ऑफर) खोली जावेगा, लिफाफा क्रं. 1 की शर्तें पूर्ण न होने पर लिफाफा क्रं. 2 बिना खोले ही निविदा अमान्य की जावेगी।

3. निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का होगा।
4. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर 15 दिवस की सूचना पर आयुक्त नगर निगम द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
5. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में 15 दिवस के भीतर संबंधित एजेन्सी आयुक्त नगर निगम रायपुर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा एवं आयुक्त नगर निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
6. दर स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर अनुबंध कराना होगा। अनुबंध न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। निविदा अनुबंध होने के उपरान्त ही बस स्टॉप का रखरखाव किया जाकर विज्ञापन कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा एवं अनुबंध दिनोंक से ही किराया प्रारंभ माना जायेगा।
7. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु अवधि 5 वर्ष तक के लिए होगा जो कि अनुबंध तिथि से प्रारम्भ होगी तथा अवधि पश्चात् दी गई अनुमति स्वमेव ही समाप्त हो जायेगी। अवधि समाप्त होने के उपरान्त विज्ञापन बोर्ड हटाना होगा।
8. विज्ञापन एजेन्सी को 40 बस स्टॉप में से निम्न 01 बस स्टॉप को :-
 1. सरस्वती नगर थाना के सामने।

अपरिहार्य कारण से 200 मीटर आगे या पीछे करना होगा तथा सभी 40 बस स्टॉप का नया रंग रोगन कर आवश्यक मरम्मत कार्य कर विज्ञापन प्रदर्शित करना होगा।

9. अपरिहार्य कारण से किसी बस स्टॉप को हटाना होगा तो प्रति वर्ष 02 बस स्टॉप को निःशुल्क हटाना होगा। 02 बस स्टॉप के बाद प्रति बस स्टॉप राशि रु. 25,000/- क्षतिपूर्ति निगम द्वारा दिया जावेगा।
10. किसी भी विभाग द्वारा लगाया जाने वाला समस्त कर निविदाकार विज्ञापन एजेन्सी के द्वारा देय होगा।
11. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये गये होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड के कारण होने वाले प्राकृतिक एवं आकस्मिक तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं हेतु विज्ञापन एजेन्सी द्वारा जवाबदेय होगी। इसमें होनी वाली जन-धन की हानि हेतु क्षतिपूर्ति संबंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा वहन किया जावेगी।
12. स्वच्छता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं विवाद की स्थिति में किसी भी होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना देकर आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु संबंधित विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी।
13. यह कि निविदाकार विज्ञापन एजेन्सी को शासन/नगर पालिक निगम, रायपुर की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
14. यह कि अमानत राशि निविदा स्वीकृत होने पर Performance Security स्वरूप जमा रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा अमानत राशि

वापस कर दी जायेगी एवं जिस एजेंसी की निविदा स्वीकृत होगी उनका अमानत राशि निविदा की कार्यावधि समाप्त होने पर संतोषप्रद कार्य उपरांत वापस किया जावेगा।

15. यह कि शासन एवं नगर निगम रायपुर द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से विकृत/अश्लील/आपत्ति जनक लेख से संबंधित एवं अन्य किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक विज्ञापन, होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगे अन्यथा तत्काल बगैर सूचना के आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटा दिये जायेगें तथा इसमें होने वाली दण्ड, हानि, हटाने का व्यय एवं सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति विज्ञापन एजेन्सी से वसूल किया जायेगा।
16. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु शासन के किसी अन्य विभागों से अनापत्ति आवश्यकता होने पर संबंधित विज्ञापन एजेन्सी को ही ऐसी अनापत्ति प्राप्त कर नगर निगम में जमा कराना होगा।
17. निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तों को अथवा कोई भी शर्तों को शिथिल कर सकेंगे।
18. विज्ञापन बोर्ड व उसकी संपूर्ण संरचना तथा उस पर विज्ञापित, प्रदर्शित सामग्री से किसी व्यक्ति, संस्था की संपत्ति, यातायात व सड़क के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा, अवरोध दृष्टिबाधा तथा उससे किसी प्रकार के चमकीला परावर्तन नहीं होना चाहिए।
19. विज्ञापन बोर्ड में प्रदर्शित विज्ञापन सामग्री किसी भी प्रकार से अशोभनीय, अश्लील, अशिष्ट सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिकूल, सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, अभद्र, अमंगलकारी तथा भ्रामक नहीं होनी चाहिए।
20. विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक स्क्रीन वाली, चलायमान तत्व (Moving Articles) तथा शोर (Noise) उत्पन्न करने वाली सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
21. विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
22. विज्ञापन बोर्ड में प्रदर्शित किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के मौखिक अथवा लिखित निर्देश पर उसे 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से हटाना होगा।
23. ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री 24 घण्टे के अन्दर नहीं हटाए जाने पर आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वह उसे हटा दे तथा इस पर होने वाला व्यय फर्म से विधि अनुरूप उसकी वसूली करें, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के दौरान किसी भी अवधि के उपरांत बोर्ड हटाते समय बस स्टॉप को पूर्वत ही संरक्षित, साफ अथवा मरम्मत करना होगा जैसा कि वह बोर्ड लगाने के पूर्व थी, होर्डिंग हटाने के बाद स्थल में किसी भी प्रकार की अवशेष व कचरा इत्यादि नहीं रखना चाहिए।
24. बोर्ड की स्थापना से उसके लगे रहने की संपूर्ण अवधि तक किसी भी जान-माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि/क्षति के लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी, किसी भी नुकसान, हानि, क्षति की संपूर्ण भरपाई एजेंसी द्वारा ही की जायेगी।
25. बस स्टॉप की संख्या में कमी या वृद्धि होने पर तथा संलग्न सूची में से किसी बस स्टॉप को ए.सी. बस स्टॉप बनाये जाने की का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर निविदाकार इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा-आपत्ति नहीं कर सकता।

(B) Eligibility Criteria

The prospective bidders shall be considered as eligible bidder if the bidder fulfils and submits the following with the tender form:

- The bidding firm shall have average of Annual Turnover of INR 1 Crores for the preceding 3 years.
- Net worth as at the end of the most recent financial year should be INR 50 lakhs.
- Proof from Government Concessionary authority in support of 3 years experience in construction, implementation and maintaining of similar two BOT projects is must.
- Copies of registration certificate of the firm/company, Memorandum and Articles of Association in case of firms registered under the Companies Act.

(C) Mode of payment

- The advertising agency shall make the rent of total 40 bus shelter amount half yearly & shall be paid in advance before start of the half year till completion of 5 years. If advertising agency fail to pay the rent in the stipulated time the performance security will be forfeited & agreement will be void.

आयुक्त
रायपुर नगर निगम
रायपुर (छ.ग.)

LIST OF 40 BUS STOP

S.No.	LOCATIONS
1	AZAD CHOWK
2	AMAPARA CHOWK
3	GAURAV PATH, RAVI NAGAR TURNING
4	TIKRAPARA ROAD, NEAR POND
5	TIKRAPARA ROAD, NEAR PUJARI PARK
6	AZAD CHOWK
7	NEAR SHANKER NGR.CHK, ING VYASA BANK
8	JAISTAMBH CHOWK
9	JAIL ROAD, MEDICAL COLLEGE GATE ATM
10	TATIBANDH ROAD, NEAR GURDWARA
11	TATIBANDH ROAD, OPP GURDWARA
12	TELIBANDHA CHOWK, OPP.POLICE STATION
13	TATIBANDH ROAD, NEAR BHARAT MATA SCHOOL
14	NEAR SHANKAR NAGAR CHOWK
15	GAURAV PATH, SHAKCHARTA CHOWK
16	GAURAV PATH, NEAR MUSEUM GATE
17	SUNDER NAGAR CHWOK
18	RAJ TALKIES
19	TELIBANDHA MALL ROAD NEAR POLICE STATION
20	NEAR GARCHAZ MKT, JAIL ROAD
21	GAURAV PATH NR RAVI NGR TURNING (LIC)
22	JAIL ROAD, DEVENDRA NAGAR TURNING
23	GAURAV PATH, OPP. MUSEUM GATE
24	SHASTRI CHOWK
25	ANUPAM GARDEN, G.E. ROAD
26	SAHEED SMARK, OPP-RAJ TALKIES
27	JAIL ROAD, OPP-MEKAHARA
28	JAIL ROAD FOREST OFFICE
29	FAFADIH CHOWK, OPP- CELEBRATION HOTEL
30	KALI BADI CHOWK
31	UNIVERSITY GATE
32	OPP- UNIVERSITY GATE
33	TATIBANDH CHOWK
34	GHANDHI UDYAN CHOWK
35	JAIL ROAD, MEKAHARA GATE
36	NIT GATE
37	OPP-NIT GATE
38	RAM KUND, ASHRAM
39	MARUTI BUSINESS PARK
40	AMAPARA CHWOK

प्रभारी अधिकारी(सिटी बस)
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)